नियम एवं शर्त

1. प्रार्थना-पत्र ऑनलाईन माध्यम से **https://flimbandhuup.gov.in** पर ही प्राप्त किया आयेगा।

2. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेव फिल्म का प्रस्ताव केवल निर्माता द्वारा ही प्रस्तुत किया जाये।

3. फीचर फिल्म/ वेबसीरीज/वेब फिल्म का प्रस्ताव शूटिंग होने के 01 वर्ष के अन्दर अथवा शूटिंग के पहले प्रस्तुत करना होगा।

4. फीचर फिल्म रिलीज होने के 01 वर्ष के अन्दर वित्तीय अनुदान हेतु समस्त प्रपत्र सहित आवेदन करना आवश्यक होगा।

5. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म का कथासार (03 पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए) अपलोड करना होगा।

6. पटकथा (संवाद साहित) अपलोड करना होगा।

7. पटकथा, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, मुम्बई (S.W.A) से पंजीकृत हो।

8. कुल बजट लागत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो (यू0डी0आई0एन0 सहित) |

9. फिल्म / वेब फिल्म/वेब सीरीज के निर्माता/ फर्म का अद्यतन तीन वर्षों का आयकर जमा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र|

10. प्रोसेसिंग फीस रुपये **25,000/-** (गैर वापसी) ऑनलाईन माध्यम से भुगतान करना होगा।

11. फीचर फिल्म/ वेबसीरीज/वेब फिल्म का कथासार (अधिकतम 03 पृष्ठ में) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. फीचर फिल्म/ वेबसीरीज/वेब फिल्म का कथावस्तु उद्देश्य, संदेश, सामाजिक उपयोगिता तथा 30प्र0 के संस्कृति एवं पर्यटन के संदर्भ में स्पष्ट विवरण दिया जाना आवश्यक है।

13. फिल्म नीति उ0प्र0 के मानक पूर्ण होने पर एवं फीचर फिल्म का सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण- पत्र दिये जाने के बाद अनुदान का 30% भुगतान किया जायेगा। अनुदान की अवशेष धनराशि का भुगतान फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जायेगा।

14. वेबसीरीज/वेब फिल्म का भुगतान फिल्म नीति, उत्तर प्रदेश के मानक पूर्ण होने पर भुगतान किया जायेगा।

15. फिल्म का टाइटिल 'इम्पा' (इण्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन) अथवा 'विफ्पा' (वेस्टर्न इण्डिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन), आई0एफ0टी0पी0 सी0 (इण्डियन फिल्म (एण्ड टी0वी0 प्रोड्यूसर्स काउंसिल), प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया आदि अधिकृत संस्थाओं में पंजीकृत होना चाहिए।

16. उत्तर प्रदेश में किये गये फिल्मांकन का सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय/पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

17. अध्यक्ष फिल्म बन्धु, द्वारा गठित स्क्रिप्ट कमेटी प्रीव्यू कमेटी तथा वित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के उपरान्त ही अनुदान देने की कार्यवाही की जायेगी।

18. फिल्म की निर्माण लागत दो करोड़ रुपये से अधिक होने पर कम से कम 08 जनपदों के 16 सिनेमाघरों में तथा फिल्म की निर्माण लागत दो करोड़ से कम होने पर कम से कम 03 जनपदों के 06 सिनेमाघरों पर प्रदर्शन अनिवार्य होगा।